

Title : Jammu and Kashmir Appropriation (no. 2) Bill, 2023.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

-
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पंकज चौधरी**): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

?कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और

विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

-

